"मासिक सरंक्षा बुलेटिन माह अप्रैल, 2025"

उत्तर पश्चिम रेलवे पर कार्यरत रेल संचालन से जुड़े सभी कर्मचारियों विशेषकर यातायात विभाग के कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी के दौरान सामान्य एवं सहायक नियम संख्या 6.10 की अनुपालना कड़ाई से करना सुनिश्चित की जाये।

6.10. आग लगनाः–

(1) यदि कोई रेल सेवक कहीं ऐसी आग लगी देखता है जिससे जीवन की हानि या सम्पत्ति को क्षति पहुँचने की संभावना है तो वह जीवन व सम्पति की रक्षा के लिए और आग को फैलने से रोकने तथा उसे बुझाने के लिए, यथासंभव, सभी उपाय करेगा।

(2) यदि आग किसी विद्युत उपस्कर में या उसके आस–पास लगती है और यदि रेल सेवक विद्युत उपस्कर के संचालन में सक्षम है तथा इस कार्य के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित है तो वह प्रभावित भाग की बिजली सप्लाई तुरन्त काट देगा।

(3) आग लगने की हर घटना की रिपोर्ट शीघ्रतम उपयुक्त साधनों द्वारा निकटतम स्टेशन मास्टर को दी जायेगी और स्टेशन मास्टर विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित रूप में कार्यवाही करेगा।

स.नि.6.10(1)(क) यदि गाड़ी के किसी वाहन में आग लग गई हो तो गाड़ी रोककर उस वाहन को गाड़ी से पृथक कर दिया जायेगा। गाड़ी के अन्य वाहनों और इस वाहन के बीच की दूरी 50 मीटर से कम नहीं रखी जायेगी। यदि गाड़ी स्थावर सिगनलों से रक्षित नहीं है तो उसका बचाव साधारण नियम 6.03 के अनुसार किया जायेगा यदि आग का पता तब चले जब गाड़ी पानी की टंकी या पानी देने वाले स्टेशन के पास हो तो लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर उस स्थान पर पहुंचने के लिए अपने विवेक से काम लेंगे।

(ख) यदि सवारी गाड़ी में आग लगी है तो सबसे पहले यात्रियों की सुरक्षा करनी होगी। इसके अतिरिक्त, यदि डाकयान (पोस्टल वान) में आग लगने का पता चले तो डाक को बचाने का भरसक प्रयास किया जाना चाहिए।

(ग) यदि जिस वाहन में बिजली में बिजली फिट की हुई है। उसमें शार्ट सर्किट होने से लकड़ी (वुडवर्क) में आग लग जाय तो वाहन के दोनों ओर के विद्युत कपलरों को अलग कर देना चाहिए। यदि उसमें डायनेमों और बैटरी लगी है तो डायनमों वेल्ट अलग कर देनी चाहिये और बैटरियों का कनेक्शन काट देना चाहिए और बैटरी फ्यूज बक्सों से जोड़ने वाली जो कड़ियों (लिंक्स) हो, उन्हें हटा देना चाहिए।

यदि बन्द स्थान में आग लगी हो और आग बुझाने के उपकरण गाड़ी में उपलब्ध हों तो हर स्थिति में उनका उपयोग किया जाना चाहिए।

स.नि.6.10(2) स्लीपरों में आग का लगना – जब ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट स्लीपर या लाइन के किसी भी अन्य लकड़ी के कार्य में आग लगी देखें तो तुरन्त गाड़ी रोकें ओर आग बुझाएं। ऐसा करते हुए उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह काम प्रभावी ढ़ग से हो ताकि उनके उस स्थान से जाने पर कुछ भी सुलगता हुआ न रह जाय। सेक्शन इंजीनियर (रेल पथ) के निकटतम गैंग और प्रथम ठहराव स्टेशन को अवश्य सूचना दी जानी चाहिए। गाड़ी के कर्मचारी पास से गुजर रहे लोगों या ग्रामीणों से पानी या अन्य सहायता प्राप्त कर सकते हैं और उनकी सहायता के बदले में उनको सन्तोषजनक पारिश्रमिक दे सकते हैं या देने का वचन दे सकते हैं।

1. **संरक्षा अभियान/संरक्षा प्रचार-**

- संरक्षा परिपत्र सं. 04/2025 "संरक्षा सुदृढ़ करने का कर्तव्य" के विषय पर जारी किया गया ।
- संरक्षा अभियान सं. 07/2025 दिनांक 01.04.2025 से 15.04.2025 तक के लिए "लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान सावधानियां" के विषय पर चलाया गया।
- संरक्षा अभियान सं. 08/2025 दिनांक 07.04.2025 से 13.04.2025 तक "संरक्षा से संबन्धित कई विषयों" के लिए चलाया गया।
- संरक्षा अभियान सं. 09/2025 दिनांक 17.04.2025 से 16.05.2025 तक "भारतीय रेलवे के सभी पॉइंट और क्रॉसिंग का निरीक्षण" के विषय पर चलाया गया।
- विशेष संरक्षा अभियान सं. 10/2025 दिनांक 17.04.2025 से 01.05.2025 तक "रेलगाड़ियों में आग से सुरक्षा" के विषय पर चलाया गया।

(संख्या -उपरे /प्रका /सरंक्षा/मासिक सरंक्षा बुलेटिन दि: 16.05.2025)

16/05/25

(देवानन्द यादव)
उप.मु.सरंक्षा अधिकारी /यातायात
कृते प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी

1.प्रतिलिपि - प्रमुख मुख्य विभागाध्यक्ष / मुख्य विभागाध्यक्ष।
2. सचिव महाप्रबंधक - महाप्रबंधक महोदय के अवलोकनार्थ।
3. सचिव अपर महाप्रबंधक - अपर महाप्रबंधक महोदय के अवलोकनार्थ।
4. वरि. मंडल सरंक्षा अधिकारी - अजमेर , बीकानेर , जयपुर , जोधपुर।
5. वरिष्ठ मण्डल यांत्रिक इंजीनियर/डीज़लशेड - आबूरोड, भगत की कोठी

उत्तर पश्चिम रेलवे

प्रधान कार्यालय
जयपुर
दिनांक:-16.05.2025

संख्या :-उ.प.रे./प्र.का/सरंक्षा बुलेटिन

मंडल रेल प्रबंधक :-अजमेर,बीकानेर, जयपुर,जोधपुर
विषय :-मासिक संरक्षा बुलेटिन अप्रैल, 2025

प्रधान कार्यालय के सरंक्षा विभाग द्वारा गाड़ी संचालन में कर्मचारियों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक माह का मासिक संरक्षा बुलेटिन जारी किया जाता है । इसी सम्बन्ध में माह अप्रैल,2025 के मासिक सरंक्षा बुलेटिन को इस पत्र के साथ सलंगन करके भेजा जा रहा है । कृपया अपने मंडल के सभी कार्यस्थलों पर इसे भिजवाएं जिससे अधिकाधिक गाड़ी संचालन कर्मचारियों को संरक्षा के प्रति जागरूक किया जा सके ।

सलंगन :- यथोक्त ।

16/05/25
(देवानन्द यादव)
उप.मु.सरंक्षा अधिकारी /यातायात
कृते प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी

1.प्रतिलिपि - प्रमुख मुख्य विभागाध्यक्ष / मुख्य विभागाध्यक्ष ।
2. सचिव महाप्रबंधक - महाप्रबंधक महोदय के अवलोकनार्थ ।
3. सचिव अपर महाप्रबंधक - अपर महाप्रबंधक महोदय के अवलोकनार्थ ।
4. वरि. मंडल सरंक्षा अधिकारी - अजमेर , बीकानेर , जयपुर , जोधपुर।
5. वरिष्ठ मण्डल यांत्रिक इंजीनियर/डीज़लशेड - आबूरोड, भगत की कोठी

Page ---(3)